भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 396
दिनांक 08.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पश्चिम बंगाल में स्वच्छ पेयजल

396. श्री दिलीप घोष:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) अथवा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता और उसके उपयोग का परियोजना-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करने के बाद जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन कर रही है ताकि 2024 तक पश्चिम बंगाल के परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान कर सके।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 में पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत और वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (05.12.2022 तक) में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित केंद्रीय निधि, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा आहरित निधि और संसूचित निधि उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथशेष	आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	उपलब्ध कुल निधि	संसूचित उपयोग	
2017-18	20.78	810.48	996.68	1,017.46	599.45	1,035.51
2018-19	418.02	917.82	890.28	1,308.3	547.47	362.38
2019-20	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	445.03
2020-21	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17
2021-22	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77
2022-23	614.67	6,180.25	1,036.47	1,651.14	843.69	1,281.02

स्रोत: जेजेएम, आईएमआईएस

(ग): स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) घटकों सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए समेकित निधियां जारी की जाती हैं। एसबीएम (जी) के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य द्वारा आहरित केंद्रीय निधियों तथा पश्चिम बंगाल में संसूचित उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					
	अथशेष	आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	अन्य प्राप्तियां/ब्याज	उपलब्ध कुल निधि	संसूचित उपयोग
2017-18	366.44	583.23	583.23	30.28	979.95	502.15
2018-19	477.80	534.26	534.25	18.09	1,030.14	499.91
2019-20	530.23	808.18	808.18	14.86	1,353.27	654.52
2020-21	698.75	414.59	261.31	39.82	999.88	642.13
2021-22	357.75	645.07	135.45	18.97	512.17	270.22

*****